रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 2002/आषाढ़ 29, 1924

No. 332] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 2002/ASADHA 29, 1924

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 505(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच 2 मई, 2000 को नई दिल्ली में प्रत्यर्पण संधि संपन्न की गयी और इस संधि के अनुच्छेद 23(1) के अनुसरण में 22 मई, 2002 को ताशकन्द में अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया और इस संधि के प्रावधान निम्नलिखित हैं :—

अनुच्छेद - एक

प्रत्यर्पण के प्रति दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस सन्धि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और शर्तों के अध्यधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र में इस सन्धि के अनुच्छेद-दो में निर्दिष्टानुसार किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने का आरोप लगाया जा रहा है अथवा सिद्ध-दोष है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर पाये जाने पर, चाहे वह अपराध इस सन्धि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है ।

2. इस सन्धि के अनुच्छेद-दो में उल्लेख के अनुसार प्रत्यर्पण ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी लागू होगा जो अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र से बाहर किया गया हो, परन्तु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्ते अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के पास तदनुरूपी परिस्थितियों में ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार होता । ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

3. इस सन्धि के अनुच्छेद-दो में उल्लेख के अनुसार प्रत्यर्पण किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए भी प्राप्य होगा जैसे कि वह अपराध अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी नागरिक द्वारा किसी तीसरे देश में किया गया है और अनुरोधकर्ता पक्ष अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की नागरिकता के आधार पर बनाता है, अथवा जैसे कि वह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में हुआ है और उस पक्ष के कानून के अन्तर्गत वह प्रत्यर्पण अपराध है ।

अनुच्छेद-दो
प्रत्यर्पण अपराध

1. इस सन्धि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण अपराध ऐसे आचरण से बनता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दिए जाने योग्य हो ।

2. कोई अपराध किसी भी बात के रहते हुए प्रत्यर्पण अपराध हो सकता है यदि वह कराधान व राजस्व से संबंधित है अथवा पूरी तरह से वित्तीय स्वरूप का है ।

अनुच्छेद- तीन
संघटित अपराध

प्रत्यर्पण अपराध के लिए इस सन्धि के अनुसार प्रत्यर्पण प्राप्त होगा चाहे वांछित व्यक्ति का आचरण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में पूर्णतः अथवा अंशतः किया गया हो, बशर्ते इस आचरण, उसके प्रभावों, अथवा उसके अभिप्रेत प्रभावों को, कुल मिलाकर, दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अन्तर्गत प्रत्यर्पण अपराध करने के समान समझा जाए ।

अनुच्छेद- चार
षड़यन्त्र करने, उकसाने और प्रयास करने के अपराध और अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार

1. किसी भी व्यक्ति के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अन्तर्गत किसी भी प्रत्यर्पण अपराध को अवप्रेरित करना, षड़यंत्र करना अथवा करने का प्रयास करना, अथवा उकसाना अथवा अपराध करने में साथी के रूप में भाग लेना एक अपराध होगा ।

2. दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अन्तर्गत संविदाकारी पक्ष के किसी नागरिक के लिए उसके क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर कोई अपराध करना भी अपराध होगा ।

अनुच्छेद- पाँच
प्रत्यर्पण से इन्कार करने के लिए आधार

1. किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता यदि :

1.1 यदि वह अपराध करने के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का नागरिक है; अथवा

1.2 वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को सन्तुष्ट कर दे कि प्रत्यर्पित कर दिए जाने पर उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनीतिक विचारधारा के कारण उसके मुकदमे में उसे क्षति पहुंचाई जा सकती है अथवा सजा दी जा सकती है; अथवा

1.3 वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को सन्तुष्ट कर दे कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कारणों से उसे प्रत्यर्पित करना अनौचित्यपूर्ण और दमनकारी होगाः

1.3.1 अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष के कानून के अन्तर्गत आपराधिक प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अथवा सजा पूरी करने के लिए अथवा अन्य कानूनी आधार पर समय-सीमा समाप्त हो जाना ;

1.3.2 उसके विरूद्ध न्याय के हित में आरोप न लगाए गए हों; अथवा

1.4 अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अन्तर्गत प्रत्यर्पण किए जाने की अनुमति न हो;

1.5 जिस अपराध के लिए वह आरोपित है अथवा सिद्धदोष है, ऐसा सैन्य अपराध है जो सामान्य दण्ड कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं है ।

2. ऐसे व्यक्ति का भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदि जिस अपराध के संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष में उसके विरूद्ध पहले ही कार्यवाही कर दी गई है और दोष-सिद्ध हो गया है अथवा उसे छोड़ दिया गया है ।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है बशर्ते कि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पर उस पक्ष की अदालतों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो ।

4. कोई व्यक्ति, जिसे किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे कम से कम छह माह की अवधि के लिए कैद अथवा अन्य प्रकार के कारावास की सजा न मिली हो ।

अनुच्छेद- छह
राजनैतिक अपराध अपवाद

1. प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है यदि वह अपराध जिसके लिए यह अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का हो ।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध माना जाएगाः

(क) विमान के अवैध कब्जे के दमन से संबद्ध अभिसमय जिसे 16 दिसम्बर, 1970 से हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;

(ख) नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध अवैध कृत्यों के दमन से संबद्ध अभिसमय, जिसे 23 सितम्बर, 1971 से मान्ट्रियल में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;

(ग) राजनयिक एजेंटों सहित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों पर रोक तथा दण्ड से संबद्ध अभिसमय, जिसे 14 दिसम्बर, 1973 से न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;

(घ) बंधक बनाये जाने के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे 17 दिसम्बर, 1979 से न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;

(ङ) हत्या;

(च) नरसंहार अथवा आपराधिक मानव वध;

(छ) शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला अथवा घायल करने वाला कोई हमला, किसी हथियार के द्वारा, किसी खतरनाक पदार्थ के द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से विद्वेषपूर्ण तरीके से घायल करना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाया जाना;

(ज) कोई विस्फोट करना जिससे जीवन के खतरे तथा संपत्ति के नुकसान की आशंका हो;

(झ) किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण किया जाना अथवा रखा जाना जिसकी मंशा या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन के लिए खतरा पैदा करने अथवा संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाने की हो;

(ञ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ रखा जाना जिसकी मंशा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन के लिए खतरा पैदा करने की हो;

(ट) अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा हिरासत के विरूद्ध प्रतिरोध करने अथवा इसे रोकने की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना;

(ठ) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से अथवा दूसरो की जिंदगी पर खतरा आ सकता है, की चिंता किये बिना लोक उपयोगिता की संपत्ति अथवा अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना;

(ड) बंधक बनाये जाने सहित अपहरण, अप्राधिकृत बंदीकरण, अथवा अवैध गिरफ्तारी;

(ढ) हत्या के लिए उकसाना;

(ण) आतंकवाद से संबंधित अन्य कोई अपराध जिसे अनुरोध प्राप्त होने के समय अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अन्तर्गत एक राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना गया है; और

(त) उपरोक्त कोई अपराध किये जाने के लिए किया गया प्रयास अथवा षड्यंत्र अथवा ऐसा कोई अपराध करने वाले अथवा अपराध करने का प्रयास करने वाले के साथ सहापराधी के रूप में भाग लेना ।

अनुच्छेद- सात
अभियोजन की बाध्यता

1. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार इस संधि के अनुच्छेद पांच के पैरा 1.1 और 3 में उल्लिखित कारणों के आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध अस्वीकार कर देता है तो वह मुकदमा चलाये जाने के लिए इस मामले को स्वीकार करेगा तथा इसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में अभियोजन न चलाने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अनुरूप पुनः विचार किया जाएगा ।

अनुच्छेद - आठ
प्रत्यर्पण तथा अस्थायी प्रत्यर्पण का स्थगन

1. यदि प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा रहा है अथवा वह किसी अन्य अपराध के लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में सजा काट रहा है तो मामले की

कार्रवाई समाप्त होने, सजा की समाप्ति अथवा मुक्ति, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जैसा सुझाव दिया जाए, तक के लिए प्रत्यर्पण स्थगित कर दिया जा सकता है ।

2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से निर्धारित अवधि समाप्त होती है अथवा जांच में बाधा पहुंचती है तो अनुरोधकर्ता पक्ष के विशेष अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित किया जा सकता है ।

3. अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित व्यक्ति को मामले की कार्रवाई समाप्त होने के तत्काल पश्चात अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य को वापस भेज देना चाहिए ।

अनुच्छेद - नौ
प्रत्यर्पण प्रक्रिया

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा ।

2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :

2.1 उस व्यक्ति का नाम तथा उपनाम जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसकी नागरिकता के संबंध में सूचना, निवासस्थान अथवा पता-ठिकाना तथा अन्य संगत आंकड़े और, यदि संभव हो, तो व्यक्ति के रंग-रूप का विवरण, उसकी फोटो एवं उंगुलियों के निशान;

2.2 उस अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है; तथा

2.3 संगत कानून का पाठ;

2.3.1 उक्त अपराध को परिभाषित करना;

2.3.2 उक्त अपराध के लिए सजा निर्धारित करना ।

3. ऊपर दी गई सूचना के अतिरिक्त मुकदमे के लिए प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ उस विषय के संबंध में अनुरोधकर्ता पक्ष के न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट संलग्न होना चाहिए ।

4. यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिसे दोषी ठहराया गया हो और सजा दे दी गई हो, तो इसके साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा वह विवरण कि वह व्यक्ति

अधिक समय तक सिद्धदोष अथवा सजा पाने का हकदार नहीं है तथा कितनी सजा पूरी नहीं हुई है, को दर्शाने वाला विवरण ।

5. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ दी गई सूचना अनुरोध के अनुसार निर्णय लेने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है, तो उपयुक्त समय के भीतर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

अनुच्छेद - दस
अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामलों में अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों को प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त होने से पहले राजनयिक माध्यमों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो-इन्टरपोल को पहले किए गए अनुरोध पर उसके कानून के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है । इस अनुरोध में उक्त व्यक्ति के प्रत्यर्पण तथा गिरफ्तारी वारंट की मौजूदगी का विवरण, और यदि वह व्यक्ति जिसकी मांग की गई है, सिद्धदोषी है, तो उसके विरुद्ध सिद्धदोष का आदेश; तथा, यदि उपलब्ध हो तो इस संधि के अनुच्छेद - नौ के पैराग्राफ 2.1 तथा 2.3 में उल्लिखित डाटा और इस प्रकार की अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के प्रदेश में किए गए अपराध अथवा सिद्धदोष व्यक्ति के संबंध में गिरफ्तारी वारंट को औचित्य ठहराने के लिए आवश्यक हो, के आशय का विवरण होगा।

2. किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर इस प्रकार का अनुरोध उसके गिरफ्तार होने की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर प्रस्तुत करना होगा, यदि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हो । यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में प्राप्त हुआ है तो वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए यह प्रावधान आगे की कार्रवाइयों को आरम्भ करने से नहीं रोकेगा ।

अनुच्छेद - ग्यारह
विशिष्टता का नियम

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष की पूर्व सहमति के बिना अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा उस अपराध के सिवाय जिसके लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी हो गई है और उसका प्रत्यर्पण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रमाणित तथ्यों द्वारा उभरे किसी छोटे अपराध के लिए प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है अथवा सजा नहीं दी जा सकती है और न ही अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष की पूर्व सहमति के बिना ऐसे व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित किया जा सकता है ।

2. निम्नलिखित के लिए अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष की सहमति अपेक्षित नहीं है यदिः

2.1 चले जाने के अवसर के बावजूद प्रत्यर्पित व्यक्ति ने आपराधिक अभियोजन की समाप्ति, सजा दिए जाने अथवा अन्य किसी विधिक आधार पर रिहाई के बाद 30 दिन के भीतर अनुरोधकर्त्ता पक्ष के प्रदेश को नहीं छोड़ा है । ऐसी अवधि को उस समयावधि में शामिल किया हुआ न समझा जाए जिसमें प्रत्यर्पित व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से अनुरोधकर्त्ता पक्ष के प्रदेश को छोड़ने में समर्थ नहीं हुआ; और

2.2 यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति एक बार अनुरोधकर्त्ता पक्ष के प्रदेश को छोड़ने के बाद स्वेच्छा से वहां वापिस आ जाता है ।

3. व्यक्ति के अनुरोधकर्त्ता पक्ष के पास वापिस आने के बाद किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों के संबंध में उत्पन्न मामलों में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - बारह
दस्तावेजों और साक्ष्य को मान्यता देना

1. किसी संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में निर्धारित प्रपत्र में उसके कानूनों के अनुसार सक्षम न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी अथवा अधिप्रमाणित दस्तावेजों और अभिलेखबद्ध बयानों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में किसी अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी ।

2. दोनों संविदाकारी पक्षों में किसी एक संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में दस्तावेजों को सार्वजनिक माना जाता है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में भी वह सार्वजनिक दस्तावेजों का साक्ष्य होगा ।

अनुच्छेद - तेरह
प्रतियोगी अनुरोध

1. यदि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक संविदाकारी पक्षों से प्रत्यर्पण के लिए कई अनुरोध किए जाते हैं तो उस पक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी सुरक्षा अथवा हित अथवा उसके राष्ट्रिकों अथवा उनके हित उस अपराध से प्रभावित होते हों, तथा उसके बाद उस पक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके प्रदेश में अपराध किया गया हो, और अन्त में उस पक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका राष्ट्रिक वह व्यक्ति है जिसे प्रत्यर्पित किया जाना है ।

2. यदि परिस्थितियां समान हैं तो उस संविदाकारी पक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने सबसे पहले अनुरोध किया है। यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध कई अपराधों के संबंध में है तो प्रमुखता अपराधों की परिस्थितियों और उसकी गम्भीरता को दी जाती है।

अनुच्छेद - चौदह
मृत्यु दंड

यदि वांछित व्यक्ति उस अपराध के लिए अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानून के अन्तर्गत मृत्यु दंड का अधिकारी है, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, परंतु अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष का कानून उस अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं देता है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष ऐसे आश्वासन नहीं दे देता कि अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष पर्याप्त रूप में समझता है कि मृत्यु दंड नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - पंद्रह
व्यक्ति का अभ्यर्पण

1. यह सूचित किए जाने पर कि प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी गई है, दोनों पक्ष अनुचित विलंब के बिना वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण की व्यवस्था करेंगे और अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अनुरोधकर्त्ता पक्ष को उस अवधि के बारे में सूचित करेगा जिसके लिए प्रत्यर्पण को ध्यान में रखते हुए वांछित व्यक्ति को रोका गया है।

2. वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष द्वारा उल्लेख की गई उपयुक्त अवधि के भीतर अनुरोध प्राप्तकर्त्त पक्ष के क्षेत्र से हटाना होगा और यदि व्यक्ति को उस अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है, तो अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

3. यदि प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने या हटाने में कोई परिस्थिति नियंत्रण से परे होती है तो उस पक्ष को दूसरे पक्ष को इस बारे में अधिसूचित करना चाहिए। दोनों पक्ष प्रत्यर्पण की नई तारीख का निर्णय परस्पर सहमति से लेगें और इस अनुरोध के पैरा 2 के प्रावधान लागू होगें।

अनुच्छेद - सोलह
पारगमन

1. जहां पर किसी पक्ष के वांछित व्यक्ति को दूसरे पक्ष के क्षेत्र से गुजरते हुए तीसरे राज्य से प्रत्यर्पित किया जाना हो, वहां उस पक्ष को, जहां पर व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है, उस पक्ष से उसके क्षेत्र से गुजरते हुए वांछित व्यक्ति को पारगमन की अनुमति प्रदान करनी होगी। यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहां हवाई यात्रा का प्रयोग किया

जाता है और दूसरे पक्ष के क्षेत्र में कहीं भूमि नहीं पड़ती है । पारगमन के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाना चाहिए ।

2. ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, जिसमें सम्बद्ध सूचना शामिल हो, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अपने-अपने कानून की व्यवस्था के अनुसार प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के इस अनुरोध पर कार्रवाई करेगा । अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष इस अनुरोध पर अविलंब अनुमति प्रदान करेगा जब तक कि इसके मूलभूत हित उनके द्वारा प्रभावित न होते हों ।

3. पारगमन का राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान कानूनी प्रावधान पारगमन के दौरान हिरासत में रखने का अधिकार देता है ।

4. अनिर्धारित अवतरण के मामले में रक्षार्थ साथ जाने वाले अधिकारी के अनुरोध पर जिस पक्ष से पारगमन की अनुमति देने का अनुरोध किया जाना है वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में किए जाने वाले पारगमन अनुरोध की आवती के लम्बित रहने की स्थिति में हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 48 घंटे तक रोक कर रख सकता है ।

अनुच्छेद - सत्रह
अपराध से सम्बद्ध सामानों का हस्तान्तरण

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष, अपने विधान की सीमाओं के भीतर, प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रयोग किए गए सामान के लिए अनुरोधकर्त्ता पक्ष के अनुरोध पर हस्तान्तरण कर सकता है ।

2. उपरोक्त सामान का हस्तान्तरण उन मामलों में भी किया जाएगा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाने, उसके फरार हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से जब यह प्रत्यर्पण लागू नहीं हो सकता ।

3. प्रार्थित पक्ष इस अनुरोध के पैरा 1 में उल्लिखित सामानों के हस्तान्तरण को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकता है यदि ऐसी कार्रवाईयों के अंत तक किसी अन्य फौजदारी मामलों के संबंध में पक्ष द्वारा शुरू की गई कार्रवाईयों के लिए अपेक्षित है ।

4. अनुरोधकर्त्ता पक्ष को हस्तांतरित सामान पर तीसरे व्यक्ति का अधिकार पक्षपातपूर्ण नहीं होगा । कार्रवाई के खत्म होने पर, अनुरोधकर्त्ता पक्ष इस सामान को अपने क्षेत्र में उनके मालिकों को लौटा देगा । यदि मालिक अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्र में है तो सामान उस पक्ष को उन्हें हस्तान्तरित किए जाने के लिए लौटाया जाना आवश्यक है । यदि मालिक किसी तीसरे देश के क्षेत्र में है तो सामान उन्हें अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा बिना कोई खर्च दिए लौटा दिया जाएगा ।

5. सामान और धनराशि का हस्तान्तरण अनुरोधकर्त्ता पक्ष के विधान के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सीमाओं के भीतर ही किया जाएगा ।

अनुच्छेद - अठारह
प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने कानून द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा तक, उस अपराध के संबंध में फौजदारी मामलों में परस्पर विधिक सहायता के व्यापक संभाव्य उपाय दूसरे के लिएं कर सकेगा जिसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है ।

अनुच्छेद - उन्नीस
प्रत्यर्पण पर व्यय

प्रत्यर्पण से सम्बन्धित सभी व्यय उस संविदाकारी पक्ष द्वारा वहन किए जायेंगे जिसके भूक्षेत्र में वह अपराध हुआ हो । संविदाकारी पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा अन्य संविदाकारी पक्ष के भूक्षेत्र के माध्यम से तीसरे पक्ष से प्रत्यर्पित व्यक्ति के मार्गस्थ परिवहन पर हुए व्यय को प्रभावित संविदाकारी पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा ।

अनुच्छेद - बीस
भाषाएं

वर्तमान संधि का अनुपालन करते हुए, संविदाकारी पक्ष अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए साथ में अन्य संविदाकरी पक्ष की राष्ट्रीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करेंगें ।

अनुच्छेद - इक्कीस
अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियाँ

वर्तमान संधि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों, जिसमें संविदाकारी पक्ष हस्ताक्षरकर्ता हैं, से उत्पन्न संविदाकारी पक्ष के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुच्छेद - बाईस
परामर्श

संविदाकारी पक्ष दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर सामान्य तौर पर अथवा किसी विशेष अनुरोध के संबंध में इस संधि की व्याख्या और अनुप्रयोग के बारे में तत्परता से परामर्श करेंगें ।

अनुच्छेद - तेईस
अनुसमर्थन और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी और यह अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगी ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को किसी भी समय राजनयिक माध्यम से सूचना देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो यह संधि सूचना प्राप्त होने के 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगी ।

आज नई दिल्ली में ईस्वी सन् दो हजार के मई माह के दूसरे दिन हिन्दी, उजबेक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस संधि के प्रावधानों के निर्वचन में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम 1962(1962 का 34) की धारा 12 की उप- धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निदेश देती है कि अध्याय II को छोड़कर उजबेकिस्तान गणराज्य पर उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

[फा. सं. टी-413/60/99]

एस.आर. तायल, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 15th July, 2002

G.S.R. 505(E).—Whereas the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Republic of Uzbekistan was signed at New Delhi, India on 2nd May, 2000 and in pursuance of Article 23(1) of the Treaty instruments of ratification were exchanged at Tashkent, Uzbekistan on 22nd May, 2002 and which Treaty provides as follows :—

Article 1
Obligation to extradite

1. Each Contracting Party undertakes to extradite to the other Contracting Party in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, a person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, committed within the territory of the Requesting Party, is found within the territory of the Requested Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence, as described in Article 2 of this Treaty, committed outside the territory of the Requesting Party but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested Party would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

3. Extradition shall also be available for an extradition offence, as described in Article 2 of this Treaty, if it is committed in a third State by a citizen of the Requesting Party and the Requesting Party bases its jurisdiction on the citizenship of the offender, or if it occurred in the territory of the Requested Party and is an extradition offence under the law of that Party.

Article 2
Extradition offences

1. An extradition offence, for the purpose of this Treaty, is constituted by conduct which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 3
Composite offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

Article 4
Offences of conspiracy, incitement and attempt, and extra-territorial jurisdiction

1. It shall be an offence under the laws of both the Contracting Parties for any person to abet, conspire or attempt to commit, or

incite or participate as an accomplice in the commission of, any extradition offence.

2. It shall also be an offence under the laws of both the Contracting Parties, for any citizen of a Contracting Party to commit any offence in any place beyond its territory.

Article 5
Grounds for refusal of extradition

1. A person may not be extradited if:
1.1 he is a citizen of the Requested Party at the time of the commission of the offence; or
1.2 he satisfies the Requested Party that he might if extradited, be prejudiced at his trial or be punished, by reason of his race, religion, nationality or political opinions; or
1.3 he satisfies the Requested Party that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reasons of:
1.3.1 the expiry of the limitation-period for initiating the criminal proceedings under the legislation of the Requested Party or for execution of a sentence, or on other legal grounds;
1.3.2 the accusation against him having not been made in the interests of justice; or
1.4 the extradition is not permitted according to the laws of the Requested Party;
1.5 the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

2. A person shall also not be extradited if in respect of the offence for which his extradition is requested, he has been previously proceeded against in the Requested Party and convicted or acquitted.

3. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that Party.

4. A person who has been convicted of an extradition offence may not be extradited thereof unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of at least six months.

Article 6
The Political Offence Exception

1. Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.

2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character :

(a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December, 1970;

(b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September 1971;

(c) an offence within the scope of the Convention of the Prevention and Punishment of Crimes against internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for signature at New York on 14 December 1973;

(d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 17 December 1979;

(e) murder;

(f) manslaughter or culpable homicide;

(g) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

(h) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

(i) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;

(j) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;

(k) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

(l) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(m) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;

(n) incitement to murder;

(o) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character; and

(p) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

2300 GI/02

Article 7
Obligation to prosecute

1. Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reason set out in paragraphs 1.1 and 3 of Article 5 of this Treaty, it shall accept and submit the case to its competent authorities for prosecution.

2. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 8
Postponement of extradition and temporary extradition

1. If the person to be extradited is being prosecuted or serving sentence for another crime in the territory of the Requested Party, the extradition may be postponed till the end of the proceedings of the case, end of sentence or release, which shall be advised to the Requesting Party.

2. If the postponement of extradition can cause the expiration of the limitation or impede the investigation, the person can be extradited temporarily under a special request of the Requesting Party.

3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested Party immediately after the end of the proceedings of the case.

Article 9
Extradition procedures

1. The request of extradition shall be made through diplomatic channels.

2. The request shall be accompanied by:

2.1 the name and surname (petronym) of the person whose extradition is requested, information on his citizenship, place of residence or whereabouts and other relevant data, as well as, if possible, the description of the person's appearance, his photographs and fingerprints;

2.2 a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and

2.3 the text, of the corresponding law;

2.3.1 defining that offence; and

2.3.2 prescribing the punishment for that offence.

3. The request for extradition for the prosecution, besides the information specified above, must be accompanied by the warrant of arrest issued by a court or a competent authority of the Requesting Party on the subject matter.

4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the judgement and a statement that the person is no longer entitled to question the conviction or sentence and showing how much of sentence has not been carried out.

5. If the Requested Party considers that the information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional information shall be submitted within a reasonable time.

Article 10
Provisional arrest

1. In urgent cases a person may be provisionally arrested by the Requested Party, in accordance with its law, on the request of the competent authorities of the Requesting Party, made either through Diplomatic Channels or the National Central Bureau of International Criminal Police Organization –INTERPOL, before the receiving of the request for extradition. The request

shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and a statement of existence of a warrant of arrest and, if the person sought is already convicted, the conviction order against him; and, if available, the data specified in paragraphs 2.1 and 2.3 of Article 9 of this Treaty and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person been convicted, in the territory of the Requested Party.

2. A person arrested upon such a request shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request for extradition is subsequently received.

Article 11
Rule of speciality

1. The extradited person may not, without prior consent of the Requested Party, be prosecuted or punished by the Requesting Party for the offence other than that for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his extradition, nor may such a person, without prior consent of the Requested Party, be extradited to a third State.

2. The consent of the Requested Party is not required if:

2.1 the extradited person has not left, though had the opportunity to leave, the territory of the Requesting Party within 30 days after termination of the criminal prosecution, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the Requesting Party, for reasons beyond his control; and

2.2 if, the extradited person, once having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns there.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of person to the Requesting Party or matters arising in relation to such offences.

Article 12
Recognition of documents and evidence

1. Documents issued or certified and statements recorded by competent courts or other authorities in the prescribed form in the territory of one Contracting Party as per its laws shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.

2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.

Article 13
Competing requests

1. If numerous requests from Contracting Parties for extradition are made for the same offence, priority shall be given to the Party whose security or interest or its nationals or their interests are affected by the offence, and then to the Party on whose territory the offence is committed, and lastly to the Party of which the person to be extradited is a national.

2. If the circumstances are identical then the Contracting Party which made the first request shall have preference. If the requests for extradition are for several offences, then preponderance is accorded to the circumstances of the offence and its gravity.

Article 14
Capital punishment

If under the law of the Requesting Party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty for the same offence, extradition may be refused, unless the Requesting Party gives such assurances as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 15
Surrender of the person

1. Upon being informed that extradition has been granted, the Parties shall, without undue delay, arrange for the surrender of the person sought and the Requested Party shall inform the Requesting Party of the length of time for which the person sought was detained with a view to surrender.

2. The person shall be removed from the territory of the Requested Party within such reasonable period as the Requested Party specifies and, if the person is not removed within that period, the Requested Party may release the person and may refuse to extradite that person for the same offence.

3. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person to be extradited, it shall notify the other Party. The two Parties shall mutually decide upon a new date of surrender, and the provisions of paragraph 2 of this article shall apply.

Article 16
Transit

1. Where a person is to be extradited to a Party from a third State through the territory of the other Party, the Party to which the

person is to be extradited shall request the other Party to permit the transit of that person through its territory. This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the other Party is scheduled. A request for transit shall be made through the diplomatic channel.

2. Upon receipt of such a request, which shall contain relevant information, the Requested Party shall deal with this request pursuant to procedures provided by its own law. The Requested Party shall grant the request expeditiously unless its essential interests would be prejudiced thereby.

3. The State of transit shall ensure that legal provisions exist enabling the person to be held in custody during transit.

4. In the event of an unscheduled landing, the Party to be requested to permit transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for 48 hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 17
Transfer of articles connected with crime

1. The Requested Party shall, within the limits of its legislation, transfer on the request of the Requesting Party the articles used for committing crime by the person being extradited, articles bearing crime traces or crime proceeds.

2. The above articles shall be transferred also in cases when the extradition cannot be effected if person died, fled or due to other reasons.

3. The Requested party may temporarily postpone the transfer of the articles referred to in paragraph 1 of this Article if they are required for proceedings instituted by that Party in connection with any other criminal case till the end of such proceedings.

4. The rights of third persons to the articles transferred to the Requesting Party, shall not be prejudiced against. Upon termination of the proceedings, the Requesting Party shall return these articles to their owners in its territory. If the owners are in the territory of the Requested Party the articles are to be returned to it for transfer to them. If the owners are in the territory of a third country the articles shall be returned to them by the Requesting Party without charge.

5. The transfer of the articles and of money shall be effected within the limits provided for by the legislation of the Requested Party.

Article 18
Mutual legal assistance in extradition

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 19
Expenses on extradition

All expenses related to the extradition shall be borne by the Contracting Party in whose territory the same occurred. The expenses caused by transit transportation of the extradited person by one of the Contracting Parties from a third Party through territory of the other Contracting Party shall be borne by the Contracting Party effecting the transit.

Article 20
Languages

While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English languages.

Article 21
International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international Conventions/ Treaties to which the Contracting Parties are signatories.

Article 22
Consultations

The Contracting Parties shall consult promptly, at the request of either Contracting Party, concerning the interpretation and the application of this Treaty, either generally or in relation to a particular request.

Article 23
Ratification and termination

1. This Treaty shall be subject to ratification and it shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.

2. Either of the Contracting Party may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other contracting Party through the diplomatic channel and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

Done at New Delhi........on 2nd May,....... 2000, in two originals in Hindi, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of the provisions of this Treaty, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than chapter II, shall apply to the Republic of Uzbekistan with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No. T-413/60/99]
S.R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.